Title: Situation arising out of 'Bharat Bandh' in protest of VAT.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, वैट के विरोध में आज देश के सभी व्यावसायिक प्रतिठान बंद हैं। मैं नहीं जानता कि वैट बारे में राज्य सरकारों का क्या दृटिकोण है लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश की जनता वैट के पक्ष में नहीं है। अभी डा. करण सिंह यादव जी ने इस पर चिन्ता व्यक्त की। वामपंथी मोर्चे में जो अर्थशास्त्री हैं श्री अशोक मित्रा जो पश्चिमी बंगाल की वाम मोर्चा सरकार में वित्त मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि वैट को लागू करने की कोशिश असंवैधानिक है। उन्होंने अफसोस व्यक्त किया है कि राज्यों में सहमति बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री श्री असीम दास गुप्ता ने वैट के पक्ष में अपनी सहमति कैसे दे दी? श्री अशोक मित्रा ने कहा है कि यूरोपीय देशों में 50 के दशक के प्रारम्भ में वैट शुरू हुआ था। इससे वहां न चोरी रुकी और न ही आम जनता को लाभ हुआ। केन्द्र सरकार के पास जितनी क्षमताएं हैं, वह इसके बाद भी वैट लगा कर राज्यों से बिक्री कर का हक छीनना चाहती है जो संविधान की धारा 246 का उल्लंघन है। वैट प्रणाली का मतलब है कि जैसे-जैसे मूल्य बढ़ता जाएगा, करों की दरें भी बढ़ती जाएंगी और इन बढ़ी दरों का कोपभाजन आम उपभोक्ता बनेगा।

प्रधान मंत्री ने कहा कि दुनिया के 143 देशों में वैट लागू है तो यह भारत में लागू क्यों नहीं हो सकता? दुनिया के दूसरे देशों से हमारे देश की परिस्थितियां भिन्न हैं। अपने देश की परिस्थितियों को बिना जाने कोई कानून बनाना और कोई कर लगाना किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। विश्व के अन्य देशों में खाद्य सामग्री को सस्ता करने के प्रयास होते हैं। लेकिन भारत सरकार ने खाद्य सामग्रियों पर ही वैट लगा कर गरीब आदमी से कर वसूलने का काम शुरू किया है जो किसी कीमत पर उचित नहीं है। वैट के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि पूरे देश में टैक्सों की समान दरें होंगी लेकिन जो तथ्य सामने हैं उनसे लगता है कि इससे न व्यापारियों का भला होने वाला है, न एक जैसी दरें होने वाली हैं और भ्रट प्रशासन के चलते न ही आम जनता को निजात मिलने वाली है।

वैट को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कुछ चीजें टैक्स से मुक्त की गई हैं जिन की संख्या 46 है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन की प्रोसैसिंग नहीं हो सकती है। इसके बाद एक परसैंट में आने वाली चीजें, चार परसैंट कर में आने वाली चीजें हैं, फिर साढ़े 12 प्रतिशत तक कर हो सकता है। इनको अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अनाज, चावल, दाल, आटे को वैट के दायरे में लाया जा रहा है। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सलाहकार श्री पार्थसारथी सोमे ने इस पर सहमति व्यक्त नहीं की है और कहा है कि केन्द्रीय कर वैट के दायरे नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सरकार केन्द्रीय बिक्री कर वापस नहीं लेती है तब तक उत्तर प्रदेश में वैट लगाने का प्रश्न नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक केन्द्रीय बिक्री कर नहीं हटता तब तक सरकार को क्या हक है कि राज्य सरकारों से कहे कि अपना बिक्री कर हटाए। यह बिल्कुल अव्यावहारिक निर्ण्य है। यह गरीब आदमी विरोधी है। वित्त मंत्री यहां बैठे हैं।

इसमें खामियां और कमियां हैं। मुझे अफसोस है कि आज पूरे देश के व्यावसायिक प्रतिठान बंद हैं । आज एनडीए और बीजेपी के सदस्य यहां नहीं हैं, उन्होंने वैट लगाने के सिलसिले को शुरू किया था और इस काम को इस सरकार ने आगे बढ़ाया । वे भी इस आंदोलन में शरीक हो गए । इसके लिए पूरे देश को और राज्य सरकारों को विश्वास में लें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्रता से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अधिकांश राज्य सरकारों का दृटिकोण यह है कि जब तक केंद्रीय सेल्स टैक्स नहीं हटेगा तब तक हम अपने राज्यों में वैट को नहीं लागू कर सकते। यह संकट आज हमारे सामने है । यह बिल्कुल अव्यावहारिक है और न्यायसंगत निर्ण्य नहीं है । इस पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि पूरे देश का अवाम, पूरे देश की जनता और आम आदमी वैट के हक में नहीं है । अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे।